

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(गुप-4) विभाग

आवक प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदायित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी. एड.
1	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2	विशिष्ट शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

\* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त सारिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का भुगतान विवरण निम्नानुसार होगा-


क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड.
<b>(A) कार्यालय व्यय</b>					
1	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2	कौशल मनी *	180	180	180	180
3	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4	विकास शुल्क	840	840	840	840
5	विजली-पानी	840	840	840	840
6	परीक्षा	300	300	300	300
7	दिविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

(B) छात्र कोष				
1.	खेलकूद	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180
4.	मनोविज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360
6.	कार्यशाला / कार्यानुभव	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00

(\* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा )

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रदेश से चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए समत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशल मनी मद की राशि को छोड़कर, रोप शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कैशलेस विकल्प उपलब्ध करवाएं।

  
(डॉ० राजेंद्र जासी)  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिनिधि सूचनाएं/आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि-11, एनआईसी भवन, अन्वेषक सचिवालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।